संख्याः नि.स. शिक्षा/विविध/2018–
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषित

1. श्री अमर देव,
निदेशक,
उच्च शिक्षा,हिमाचल प्रदेश,शिमला–171001
2. श्रीमती उमा वर्मा,
अतिरिक्त निदेशक,उच्च शिक्षा,हि0 प्र0 शिमला–171001
3. श्री एम.एल.आजाद
अतिरिक्त निदेशक,उच्च शिक्षा,हि0 प्र0 शिमला–171001
4 डॉ0 सोनिया ठाकुर,
संयुक्त निदेशक, (प्रशासन)उच्च शिक्षा,हि0 प्र0 शिमला–171001
5 डॉ0 अमरजीत शर्मा,
अतिरिक्त निदेशक,(कालेज)उच्च शिक्षा,हि0 प्र0 शिमला–171001
6 श्री सतीश लाल
संयुक्त निदेशक,(कालेज)उच्च शिक्षा,हि0 प्र0 शिमला–171001
7 श्री सुशील पुन्डीर,
संयुक्त निदेशक,(स्कूल)उच्च शिक्षा,हि0 प्र0 शिमला–171001

दिनांकः शिमला–2 7 जून, 2018

महोदय/महोदया,

मैंने आपके निदेशालय द्वारा बैठक में प्रस्तुत की गई विभागीय जांचों की परख की है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा निदेशालय में विभागीय/ सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तें और CCS Rules कोई मायने नहीं रखते हैं। 225 प्राथमिक जांच किस नियमों के तहत चल रही है। मैं इसे समझने में असमर्थ हूं । मुझे प्राथमिक जांचों का जो वर्णन इस रिपोर्ट में दिया गया है, वह वास्तव में किसी भी व्यक्ति की समझ से परे है। इन जांचों से तो यह लगता है कि यह जांच मात्र आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखाई गई है। सरकारी धन के दुरूपयोग और गबन जैसे मामलों में शिक्षा निदेशालय को अपराधिक मामले की बजाय किस विधान के अन्तर्गत, प्राथमिक जांच की शक्तियां किस अधिकारी द्वारा दी गई है, यह भी समझ से परे है। कई जांचें तो 15 साल से पुरानी है। मुझे इन सब तथाकथित प्राथमिक जांचों पर निम्न टिप्पणियां करनी हैः–

1. आपराधिक मामले में देश का विधान सबके लिए है। इन सब मामलों में बिना विलम्ब प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए जिन जांच अधिकारियों के पास दशकों से यह मामले पड़े है, उन्हें 10 दिन का समय दिया जाए और मुझे 20 जून तक विषय पर रिपोर्ट मिल जानी चाहिए की

आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है और यदि कोई भी जांच अधिकारी तथाकथित जांच रिपोर्ट नहीं भी देते हैं तब भी विभागाध्यक्ष इन मामलों में वैधानिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु बाध्य हैं । इसमें किसी प्रकार का और रास्ता नहीं है।

2. आपराधिक मामलों में देरी से तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि निदेशालय के जो भी सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी हैं वह इसमें संलिप्त हैं तथा उनके विरूद्व भी आपराधिक मामले बनाये जाने चाहिएं।

3. विभागीय जांच नियमों में यदि कोई विभागीय जांच अपवादित स्वरूप चल भी रही है वह भी कई–कई सालों से चल रही हैं। विभागीय जांच समय पर पूरी नहीं करने के लिए अधिकारियों के विरूद्व भी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

4. एक, राजकुमारी प्रवक्ता, पॉल सांईस के विरूद्व गलत नियुक्ति की जांच भी दर्शाई गई है। गलत नियुक्ति में यह वैधानिक दायित्व है कि विभाग किसी ऐसे व्यक्ति को न तो नौकरी पर रखें और न ही ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों को पढ़ाएं। राजकुमारी के केस को एक हफ्ते के अन्दर–अन्दर निपटाया जाए।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रूल 16 के तहत मामले दशकों से लटके हैं या तो विभाग को विभागीय जांच प्रावधानों का पता नहीं हैं या यह सब जांच मात्र दिखावा है। रूल 16 के मामले इस माह के अन्त तक सभी निपटा दिये जाएं जो भी लोग पैसे के गबन और इस प्रकार के कदाचार के आरोपी हैं उन्हें बर्खास्त करना तो दूर नौकरी पर उसी जगह पर post कर दिया जहां यह घटना घटित होती है।

5. प्राथमिकी जांच सेवा निवृत अधिकारियों के पास कैसे लम्बित हैं। मुझे जांचों पर उन जांच अधिकारियों को जो सेवा निवत हो चुके हैं को स्मरण पत्र भेजे जाने की बात कही है। यह तो एक ढकोसला व दिखावा ही है। यह सुनिश्चित करें कि जिन लोगों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं वह वहां से तुरन्त हटाए जाएं। जो जाचं अधिकारी 30 जून तक जांच पूरी नहीं करते हैं व जिन्होंने वित्तीय अनियमितताओं पर रूल 16 की जांच बिठाई है, वह स्वयं जांच के विषय बन गए हैं। ऐसा ही हाल मैंने POSCO और **prevention of sexual harassment at walk place** के तहत देखा है। इन मामलों में भी आपराधिक मामला दर्ज किये जाने के साथ–साथ सम्बन्धित को भी 120 बी, IPC के तहत लाया जाना चाहिए।

6. जाली डिग्रीयों पर नौकरी करने का मामला भी निदेशालय की कार्य–कुशलता का उदाहरण है। वैधानिक तौर पर कहीं भी बिना सक्षमता वाले व्यकित द्वारा बच्चों को पढ़ाने की बात विभाग के विरूद्व आपराधिक मामले बनाने हेतु पर्याप्त हैं तथा यदि कोई सरकार से अक्षम अधिकारियों द्वारा बच्चों के पढ़ाने के मामले में जुर्माना वसूलता है तो उसकी भरपाई supervisory अधिकारियों से की जानी चाहिए।

7. विभागीय जांच किसी भी राज्य के प्रशासन तन्त्र का वैधानिक अधिकार है तथा इस अधिकार को विभागीय कामकाज को कानूनों के अन्तर्गत चलाने में सहायता मिलती है। इतनी गफलत देखकर तो यह लगता है कि विभागीय कार्य एवं विभागीय कार्य–प्रणाली में नियमों की अनदेखी जो कि नियम की अनभिज्ञता या नियमों पर अप्राप्त प्रशिक्षण के कारण है को भी दूर करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विभागीय कार्य–कुशलता को कम से कम व न्यूनतम स्तर पर लिये जाने हेतु सब कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के प्रशिक्षण दिया जाए।

भवदीय,

डॉ0 अरूण कुमार शर्मा,
सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठाकंन संख्या– नि.स. शिक्षा / विविध / 2018– दिनांक: 7.6.2018

प्रतिलिपी निम्न को प्रेषित है:–

1. श्री मनमोहन शर्मा,निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा, हि0 प्र0 / राज्य परियोजना निदेशक,एस.एस. ए / आर.एम.एस.ए,हि0प्र0, शिमला–171001 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सभी उप–निदेशक, उच्च / प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. सभी खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. अतिरिक्त सचिव,शिक्षा, हि0 प्र0,शिमला / संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, हि0 प्र0, शिमला / उप–निदेशक, शिक्षा, हि0 प्र0,शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आपराधिक मामलों में विभागीय कार्यवाही नियमों में अपरिहार्य है।

सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार